न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र सख्या 39/2023

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 17/2023

राजस्थान सरकार जरिये अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर

– प्रार्थी

बनाम

1.श्री जब्बार पुत्र सम्मन शाह ग्राम किशनपुरा (फकीराखेडा) सोमलपुर रोड, अजमेर । पुलिस थाना रामगंज अजमेर

2.श्री इकरामुद्दीन पुत्र चांद मोहम्मद 64 किशनपुरा, सोमलपुर रोड फारकिया, अजमेर पुलिस थाना रामगंज अजमेर

3.अब्दुल कादिर खान पुत्र रूस्तम खान अंदरकोट, अकबरी मस्जिद तालाब के पास वार्ड नं0 04, अजमेर । पुलिस थाना दरगाह अजमेर

– अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री अब्दुल सादीक, प्रर्वतन अधिकारी प्रार्थी
2. श्री सुभाष चन्द राजोरिया अभिभाषक अप्रार्थी 1 व 3
3. श्री मनोहर लाल प्रजापत अभिभाषक अप्रार्थी 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–:आदेश:–

दिनांक 31.03.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 17.02.2023 को श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी, अजमेर जांच दल योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, खान मोहम्मद खॉ प्रवर्तन निरीक्षक व अंकुश अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री जब्बार पुत्र श्री सम्मन शाह किशनपुरा (फकीरखेडा) सोमलपुर रोड, अजमेर पर पहुँचे एवं जांच कार्य सम्पन्न किया जिसमें अनियमित्ता पाई गई। वक्त जांच पर दो मारूति वैनो में जिनके रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-41-UA-2580 तथा RJ-42-UA-0921 में दो घरेलू गैस सिलेण्डरो को उल्टा रखकर दो इलेक्ट्रिक रिफीलिंग मशीनो से इलेक्ट्रिक बोर्ड से जोडकर मारूति वेनो में गैस रिफीलिंग किया जाना पाया गया । वक्त जांच मौके पर मारूति वेन संख्या RJ-42-UA-0921 मे एक लाल घरेलू गैस सिलेण्डर वाहन में गैस रिफिलिग के प्रयोजन से रखा पाया । पास ही मौके पर खडी मारूति 800 वाहन रजिस्टेशन संख्या RJ-01-1C-1117 में भी एक लाल घरेलू सिलेण्डर रिफलिंग के प्रयोजन से रखा पाया । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा तीन वाहन RJ-41-UA-2580 व RJ-42-UA-0921 एवं RJ-01-1C-1117 चार घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो तथा दो इलेक्ट्रिक रिफिलिग मशीनो मय पाईप व वाल्व को राजसात करने के आदेश फरमावे । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया

Anu
(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी 1 व 3 अधिवक्ता श्री सुभाष चन्द राजोरिया उपस्थित। अप्रार्थी 2 की ओर से श्री मनोहर लाल प्रजापत अभिभाषक उपस्थित आये । सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया ।

पेरोकार सरकार एवं अप्रार्थी अभिभाषक की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस कथन किया कि दिनांक 17.02.2023 को श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी, अजमेर जांच दल योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, खान मोहम्मद खॉ प्रवर्तन निरीक्षक व अंकुश अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री जब्बार पुत्र श्री सम्मन शाह किशनपुरा (फकीरखेडा) सोमलपुर रोड, अजमेर पर पहुॅचे एवं जांच कार्य सम्पन्न किया जिसमें अनियमित्ता पाई गई। वक्त जांच पर दो मारूति वैनो में जिनके रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-41-UA-2580 तथा RJ-42-UA-0921 में दो घरेलू गैस सिलेण्डरो को उल्टा रखकर दो इलेक्ट्रिक रिफीलिंग मशीनो से इलेक्ट्रिक बोर्ड से जोडकर मारूति वेनो में गैस रिफीलिंग किया जाना पाया गया । वक्त जांच मौके पर मारूति वेन संख्या RJ-42-UA-0921 मे एक लाल घरेलू गैस सिलेण्डर वाहन में गैस रिफिलिग के प्रयोजन से रखा पाया । पास ही मौके पर खडी मारूति 800 वाहन रजिस्टेशन संख्या RJ-01-1C-1117 में भी एक लाल घरेलू सिलेण्डर रिफलिंग के प्रयोजन से रखा पाया । मौके पर वाहनो में एलपीजी को अवैध रूप से भरते पाये जाने पर उपस्थित व्यक्ति जिसने अपना नाम जब्बार पुत्र श्री सम्मन शाह निवासी किशनपुरा फकीराखेडा सोमलपुर रोड अजमेर बताया से जानकारी लेने पर दोनो इलेक्ट्रिक रिफीलिंग मशीने स्वयं की होना तथा घरेलू गैस सिलेण्डरो से वाहनो में एलपीजी भरने का व्यवसाय करना बताया । यदि कोई वाहन वाला स्वयं अपना 14.2 किग्रा का घरेलू लाल सिलेण्डर लाता है। तो उससे गाडी मे रिफिलिंग करने के 50/– रूपयें प्रति सिलेण्डर के हिसाब से तथा यदि मेरे घरेलू एलपीजी सिलेण्डर से भरता हूँ तो 1200 रूपये प्रति सिलेण्डर के हिसाब से चार्ज करना बताया । वक्त जांच मौके पर ही मारूति वैन RJ-41-UA-2580 खडी पायी जिसमें रिफलिंग की जा रही थी जिसका चालक व मालिक श्री इकरामुददीन होना पाया । वक्त जांच मौके पर खडी सफेद मारूति वैन रजिस्टेशन संख्या RJ-41-UA-2580 में भी रिफलिंग की जा रही थी । जिसका चालक श्री आमीर होना तथा मालिक श्री अब्दुल कादिर खान पुत्र श्री रूस्तम खान निवासी अंदरकोट, अकबरी मस्जिद तालाब के पास वार्ड नं0 04 होना पाया । अतः श्री जब्बार द्वारा इलेक्ट्रिक मशीनो से वाहनो में एलपीजी भरने से मानवीय जीवन को जोखिम में डालने व भरकर दुर्घटना व जन हानि की प्रबल संभावना है। अतः श्री जब्बार व वाहन चालको द्वारा एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर मौके से ही तीन वाहन मारूति ऑमनी वैन रजिस्टेशन संख्या RJ-41-UA-2580 रंग सफेद, मारूति ऑमनी वैन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ-42-UA-0921 रंग सिल्वर व मारूति 800 RJ-01-1C-1117 रंग सिल्वर, दो इलेक्ट्रिक रिफिलिग मशीन मय रिफिलिग पाई व वाल्ब तथा चार घरेलू एलपीजी सिलेण्डर को राजहित में कब्जे राज लिया गया। मौके से निम्न सिलेण्डर पाए गए ।

Anu
(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

क0सं0	गैस कम्पनी	सीओ.नंबर	टी. वेट	ग्रॉस वेट	नेट वेट
1	BPCL	0795748	15.5 Kg	20.5 Kg	5.0
2	BPCL	39176	15.7 Kg	17.7 Kg	2.0
3	BPCL	327045	15.4 Kg	29.6 Kg	14.2
4	BPCL	822126	15.6 Kg	29.8 Kg	14.2

उक्त कब्जेराज लिये गये तीन वाहनो RJ-41-UA-2580 व RJ-42-UA-0921 एवं RJ-01-1C-1117 को सुपुर्दगी में पुलिस थाना रामगंज अजमेर तथा उक्त चार घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो तथा दो इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीनो मय पाईप व वाल्व की कुक एण्ड कुक इण्डेन मैसर्स एजेन्सी के कार्मिक श्री सोमनाथ (सोनू) पुत्र श्री मोहन लाल उम्र 44 वर्ष जाति हरिजन निवासी रेल्वे कॉलोनी, मकान नम्बर 2065 रामगज अजमेर को माननीय न्यायालय के अग्रिम आदेशो तक सुरक्षित सुपुर्दगी में दिया गया । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा तीन वाहन RJ-41-UA-2580 व RJ-42-UA-0921 एवं RJ-01-1C-1117 चार घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो तथा दो इलेक्ट्रिक रिफिलिग मशीनो मय पाईप व वाल्व को राजसात करने के आदेश फरमावे । जवाब में 1 व 3 ने निवेदन किया गया कि प्रार्थी अपना जुर्म स्वेच्छज्ञ से स्वीकार करता है तथा भविष्य मे किसी प्रकार की अपराध की पुनरावृत्ति नही करेगा जवाब स्वीकार कर प्रकरण का निस्तारण करे व वाहन रिलिज फरमावे । साथ ही अप्रार्थी संख्या 2 ने वाहन खराब हो जावेगा जबकि पिछले काफी समय से वाहन के खडे रहने से डेमेज हो गया है इसलिये वाहन के समुचित रख रखाव के लिए उपरोक्त मारूति वेन RJ-42-UA-0921 को सुपुर्द पर छोड़ा जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायहित इसके अनुसरण में वाहन उनको सुपुर्दगीनामें पर सौपे जाने का आदेश प्रदान कराने का अनुरोध किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि अप्रार्थी द्वारा जवाब बहस में ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य,सबूत के नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन करते। दिनांक 17.02.2023 को श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी, अजमेर जांच दल योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, खान मोहम्मद खॉ प्रवर्तन निरीक्षक व अंकुश अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री जब्बार पुत्र

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

श्री सम्मन शाह किशनपुरा (फकीरखेडा) सोमलपुर रोड, अजमेर पर पहुँचे एवं जांच कार्य सम्पन्न किया जिसमें अनियमित्ता पाई गई। वक्त जांच पर दो मारूति वैनो में जिनके रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-41-UA-2580 तथा RJ-42-UA-0921 में दो घरेलू गैस सिलेण्डरो को उल्टा रखकर दो इलेक्ट्रिक रिफीलिंग मशीनो से इलेक्ट्रिक बोर्ड से जोडकर मारुति वेनो में गैस रिफीलिंग किया जाना पाया गया। वक्त जांच मौके पर मारूति वेन संख्या RJ-42-UA-0921 मे एक लाल घरेलू गैस सिलेण्डर वाहन में गैस रिफिलिग के प्रयोजन से रखा पाया । पास ही मौके पर खडी मारूति 800 वाहन रजिस्टेशन संख्या RJ-01-1C-1117 में भी एक लाल घरेलू सिलेण्डर रिफलिंग के प्रयोजन से रखा पाया । वक्त जांच अप्रार्थीगण से से चार घरेलू गैस सिलेण्डर तथा दो इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन मय पाईप व वाल्व का पाया जाना अवैद्य गैस भण्डारण एवं रिफिलिंग की पुष्टि करता है। अप्रार्थी का यह कृत्य यह कृत्य एल.पी.जी. आदेश 2000 के क्लॉज (3)(1)(क)(ख)(ग)(घ), क्लॉज (2)(4,)4.1(क)(ग)(घ)(ड)5,6,7 (1) क,ख के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्क वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तथा कब्जेराज लिये गये उक्त चार घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो तथा दो इलेक्ट्रिक रिफिलिग मशीनो मय पाईप व वाल्व को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत् राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें । अप्रार्थीगण ने मारूति वैन को उसे सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने की प्रार्थना की है। उपरोक्त स्थिति के तहत अप्राथीगण द्वारा एल.पी. जी. (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के खण्ड सं. 3(1) (C) 4(1) (a) (e) तथा 6 का उलंघन स्पष्ट है जो आवश्यक वस्तु अभि. 1935 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा उपरोक्त तीन वाहन RJ-41-UA-2580 व RJ-42-UA-0921 एवं RJ-01-1C-1117 के लगी गैस किट में अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर से रिफिलिग मशीन को सहायता से गैस भरवाने/उपयोग के साबित होने के फलस्वरूप प्रत्येक वाहन पर रूपये 15,000/—अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये मात्र का जुर्माना किया जाता है, सम्बन्धित वाहन मालिक द्वारा जुर्माना राशि अदा करने पर जब्त किए गये उपरोक्त वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो स्वामित्व बाबत् सन्तुष्टि के सम्बन्धित को सुपर्द कर दिया जावे। सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 17/2023 का निस्तारण इसी में किया गया है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.03.2023 को बाद हस्ताक्षर के सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर